



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26052020-219563
CG-DL-E-26052020-219563

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1471]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 26, 2020/ज्येष्ठ 5, 1942

No. 1471]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 26, 2020/JYAISHTHA 5, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मई, 2020

का.आ. 1638(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि पश्चिम बंगाल राज्य के कलिम्पोंग जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 717ए के कि.मी. 40.000 से कि.मी. 61.100 तक के भू-खण्ड (काफेर से लाभा सेक्शन) के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अतिरिक्त जिला अधिकारी, कलिम्पोंग को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकृत किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

पश्चिम बंगाल राज्य के कलिम्पोंग जिले में गंगटोक के लिए वैकल्पिक राजमार्ग (नया रा.रा. 717ए) के हिस्से में कि.मी. 40.000 से कि.मी. 61.100 तक (काफेर से लाभा सेक्शन) भूमि के हिस्से में आ रही संरचना रहित अथवा संरचना सहित अर्जित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: पश्चिम बंगाल		जिले का नाम: कलिम्पोंग			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: कलिम्पोंग -II					
गांव का नाम: गीत बेओंग खासमहल (जे.एल.नं.-036)					
1	25	सरकारी	झोरी	0.2000000(एकर)	0.0809389
2	26	सरकारी	रोड	0.1000000(एकर)	0.0404695
3	27	सरकारी	झोरी	1.0200000(एकर)	0.4127883
4	28	निजी	बाजो	0.4100000(एकर)	0.1659247
5	29	निजी	पानीखेत	0.3000000(एकर)	0.1214083
6	29	सरकारी	पानीखेत	0.2700000(एकर)	0.1092675
7	30	निजी	सूखाखेत	0.1600000(एकर)	0.0647511
8	33	निजी	बाजो	0.1900000(एकर)	0.0768920
9	52	निजी	सूखाखेत	0.1000000(एकर)	0.0404695
10	56	निजी	सूखाखेत	0.0500000(एकर)	0.0202347
11	57	निजी	बाजो	0.2200000(एकर)	0.0890328
कुल				3.0200	1.2222

[फा. सं. NHIDCL/BO-SKM/Bagrakote-Kafer/2019-20/3A]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th May, 2020

S.O. 1638(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule

below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 717A, in the stretch of land from Km 40.000 to Km 61.100 (Kafer-Lava Section) in the district of Kalimpong, in the state of WEST BENGAL, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Additional District Magistrate, Kalimpong in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling within the stretch of land from Km 40.000 to Km 61.100 (Kafer-Lava Section) Part of Alternate Highway to Gangtok (New NH-717A) in the district of Kalimpong, in the State of WEST BENGAL.

State: WEST BENGAL		District: Kalimpong			
Sl.No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Kalimpong -II					
Village: Git Beong Khasmahal (J.L. No. -036)					
1	25	Government	Jhori	0.2000000(Acre)	0.0809389
2	26	Government	Road	0.1000000(Acre)	0.0404695
3	27	Government	Jhori	1.0200000(Acre)	0.4127883
4	28	Private	Bajo	0.4100000(Acre)	0.1659247
5	29	Private	Panikhet	0.3000000(Acre)	0.1214083
6	29	Government	Panikhet	0.2700000(Acre)	0.1092675
7	30	Private	Sukhaket	0.1600000(Acre)	0.0647511
8	33	Private	Bajo	0.1900000(Acre)	0.0768920
9	52	Private	Sukhaket	0.1000000(Acre)	0.0404695
10	56	Private	Sukhaket	0.0500000(Acre)	0.0202347
11	57	Private	Bajo	0.2200000(Acre)	0.0890328
Total				3.0200	1.2222

[F. No. NHIDCL/BO-SKM/Bagrakote-Kafer/2019-20/3A]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.